Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारत और विश्व

(भाग–2)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CSM08

दृष्टि The Vision

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारत और विश्व
(भाग–2)

दृष्टि The Vision

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPSC DLP विषय सूची (Contents)

12.	भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका	5–35
13.	संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत	36–56
14.	भारत-जापान संबंध	57–75
15.	भारत-रूस संबंध	76–96
16.	क्षेत्रीयकरण और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन	97–111
17.	भारत-अफ्रीका संबंध	112–128
18.	भारत-म्याँमार संबंध	129–146
19.	प्रवासी भारतीय	147–161
20.	भारत-फ्राँस संबंध	162–174
21.	भारत-ब्रिटेन संबंध	175–191
22.	भारत-ब्राज़ील संबंध	192–199
23.	भारत, एन.पी.टी. और सी.टी.बी.टी.	200–213
24.	भारत-भूटान संबंध	214–225
25.	महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश	226–284

अध्याय
12

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (India and The United States of America)

12.1 द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ
12.2 भारत-अमेरिका परमाणु समझौता
12.3 अमेरिका की एशिया योजना
12.4 द्विपक्षीय संबंधों का हालिया संदर्भ
12.5 भारत-अमेरिका सामरिक वार्ता
12.6 भारत-अमेरिका सामरिक वार्ता पर संयुक्त वक्तव्य, 2017
12.7 प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा
12.8भारत-अमेरिका शिखर सम्मेलन
12.9 भारत-अमेरिका का एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र संयुक्त रणनीतिक विज़न
12.10 भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच की 10वीं बैठक
12.11 H-1B वीज़ा नियमों से बदलाव का असर
12.12 अमेरिका की विशेष निगरानी सूची
12.13 वर्तमान परिदृश्य

12.1 द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ *(Historical Perspective of Bilateral Relations)*

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद संसार में दो महाशक्तियों ने शीतयुद्ध को जन्म दिया और विश्व को दो शक्ति गुटों में विभाजित कर दिया। ये दो महाशक्तियाँ थीं– संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। लगभग उसी समय जब दोनों शक्ति गुटों में शीतयुद्ध ने गति पकड़ी, भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होकर एक नवोदित राष्ट्र के रूप में राजनीतिक क्षितिज पर प्रकाशमान हुआ। भारत ने नि:संकोच यह निर्णय लिया कि वह किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति इसी निर्णय का परिणाम थी। इस नीति के तहत भारत ने सभी देशों के साथ मित्रता करने का निर्णय लिया।

स्वाभाविक था कि सभी के साथ मित्रता करने के प्रयासों में भारत ने न केवल ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे वरन् दोनों महाशक्तियों के साथ भी मधुर संबंध विकसित करने का प्रयत्न किया। संसार के दो विशाल लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में मित्रता की अपेक्षा की गई। दोनों देश संबंध सामान्य बनाने के प्रयास करते भी रहे परंतु वैसे संबंध देखने को नहीं मिले जैसे कि अपेक्षित थे। किन्हीं दो स्वतंत्र और स्वाभिमानी देशों के बीच ऐसा होना स्वाभाविक भी है। इसी कारण भारत-अमेरिका के बीच आपसी संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं।

भारत-अमेरिका संबंधों में अमेरिका द्वारा भारत को कभी भी उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई। 1962 में चीन द्वारा भारत पर किये गए आक्रमण ने अमेरिका की नीतियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। उसके पश्चात् भारत के प्रति अमेरिका की नीति में कुछ परिवर्तन हुआ परंतु अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय हितों को ही ध्यान में रखा और भारत को एक अधीनस्थ देश का दर्जा दिया, न कि समकक्ष का। उसने भारत के दृष्टिकोण को समझने और उसके राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देने का कष्ट नहीं किया। अमेरिका ने भारत की गुटनिरपेक्षता को सोवियत-समर्थक नीति समझा। सभी प्रमुख देशों में से भारत ही एक ऐसा देश है जिसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध उलझन पैदा करने वाले रहे हैं। जब से भारत स्वतंत्र हुआ, भारत-अमेरिका के बीच अनेक बार तनाव उत्पन्न हुए जिससे अनुकूलता के अवसर हाथ से निकलते रहे। पूर्व में भारत-अमेरिकी संबंधों को 'अमैत्रीपूर्ण मित्रों के संबंध' कहा गया।

शीतयुद्ध के समय भारत-अमेरिका संबंध *(Indo-US Relations During the Cold War)*

स्वतंत्र भारत का उदय लगभग उसी समय हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ महाशक्तियों (Super Powers) के रूप में उभर रहे थे। इन दोनों देशों को अपनी-अपनी विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था में इतनी अधिक आस्था थी कि वे एक-दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। उन दोनों ने न केवल पृथक् शक्ति गुट (Power

होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग

जुलाई 2018 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग' में विमानन सुरक्षा सहित आतंकवाद और आप्रवासन आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया। इससे संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं-

- यह वार्ता सुरक्षा सहयोग, सीमा शुल्क और आप्रवासन, विमानन सुरक्षा, क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित थी।
- दोनों देश होमलैंड सिक्योरिटी प्रेसीडेंट डायरेक्टिव-6 (HSPD-6) समझौते के तहत आतंकवादी संगठनों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और वैश्विक प्रवेश कार्यक्रम (जीईपी) के लिये व्यक्तियों के नाम पर सहमत हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि HSPD-6 समझौता आतंक से संबंधित जानकारी साझा करने की इजाज़त देता है, जबकि जीईपी प्रमुख नागरिकों को आप्रवासन पर जाँच से छूट प्रदान करता है।

टेररिस्ट ट्रेवल इनिशिएटिव (टीटीआई)

सितंबर 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका और मोरक्को ने ग्लोबल काउंटर टेररिज़्म फोरम (GCTF) के तत्त्वावधान में आतंकवादी यात्रा पहल (TTI) की शुरुआत की। यह पहल आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु प्रभावी निगरानी और जाँच उपकरण विकसित और क्रियान्वित करने के तरीके पर विशेषज्ञता साझा करने के लिये सभी हितधारकों को एक साथ लाती है। इससे संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-

- आतंकवादी यात्रा पहल (Terrorist Travel Initiative-TTI) की घोषणा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान की गई।
- यह कार्यक्रम ग्लोबल काउंटर-टेररिज़्म फोरम (GCTF) द्वारा संचालित किया जाएगा।
- इस नई पहल से संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 2396 को मज़बूती मिलेगी। दिसंबर 2017 में सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए इस संकल्प का उद्देश्य आतंकवादियों के आवागमन को पूरी तरह से रोकना है।
- संकल्प 2396 में प्रस्तावित एडवांस्ड यात्री सूचना (API), यात्री नाम रिकॉर्ड (PNR) और बायोमीट्रिक्स के माध्यम से वर्तमान समय में आतंकवादी यात्रा पर रोक लगाई जा रही है।
- इस पहल के तहत वर्ष 2018 और 2019 में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी, जिसमें एक दस्तावेज़ तैयार किया जाएगा और उसका अनुमोदन 2019 की GCTF की मंत्रिस्तरीय बैठक में किया जाएगा।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. भारत और यूनाइटेड स्ट्रेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिये किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है, जो भारत के आत्म-समादार और महत्त्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपुयक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। **UPSC (Mains) 2019**
2. "आवश्यकता से कम नगदी, अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन रक्षण की स्थित में पहुँचा दिया है।" अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर 'इज़राइल विरोधी पूर्वाग्रह' होने का दोषारोपन करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिये। **UPSC (Mains) 2019**
3. भारत एवं यू.एस.ए. दो विशाल लोकतंत्र हैं। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिये जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। **UPSC (Mains) 2018**
4. यू.एस. वीज़ा की कुछ श्रेणियों के लिये वीज़ा प्रक्रमण फीसों में हाल की बढ़ोतरी के कारण पर टिप्पणी कीजिये। भारत पर इस बढ़ोतरी का क्या संभव प्रभाव हो सकता है? **UPSC (Mains) 2010**
5. टिप्पणी लिखिये : भारत-यू.एस.: रणनीतिक भागीदारों के रूप में। **UPSC (Mains) 2009**
6. कृषि के क्षेत्र में, भारत-यू.एस. ज्ञान पहल पर चर्चा कीजिये। **UPSC (Mains) 2009**
7. 2006 के हाइड अधिनियम के बारे में लिखिये। **UPSC (Mains) 2007**
8. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 'रणनीतिक भागीदारी' क्या है? दोनों भागीदारों के लिये इसके निहितार्थ क्या हैं? **UPSC (Mains) 2006**

अध्याय
13

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत
(United Nations Organisation & India)

13.1 संयुक्त राष्ट्र संघ: संरचना एवं संगठन
13.2 भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ संबंधों का विकास
13.3 भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग
13.4 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार संबंधी प्रस्ताव मंजूर
13.5 संयुक्त राष्ट्र का भविष्य : चुनौतियाँ और सुधार
13.6 संयुक्त राष्ट्र का महत्त्व
13.7 वर्तमान परिदृश्य तथा भारत की संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान सक्रियता

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व स्तर पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का यह दूसरा प्रयास था। इसके पहले प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध एवं हिंसा को रोकने के लिये राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना की गई थी, लेकिन यह संगठन युद्ध रोकने में सफल नहीं हो सका था। द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका को देखते हुए युद्ध के दौरान ही विश्व के प्रमुख नेताओं ने एक ऐसा संगठन बनाने पर विचार करना शुरू कर दिया था जो भावी पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाए, साथ ही विश्व में शांति भंग करने के प्रयासों को रोक सके। इसे देखते हुए द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 51 देशों द्वारा 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ये देश अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करने, सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन-स्तर की प्राप्ति तथा मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के प्रति प्रतिबद्ध थे।

13.1 संयुक्त राष्ट्र संघ: संरचना एवं संगठन
(United Nations Organizations: Structure and Organization)

संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास *(History of the United Nation)*

संयुक्त राष्ट्र शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति रूज़वेल्ट द्वारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1 जनवरी, 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र (Declaration by the United Nation) में किया गया था। उसी समय 26 देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी सरकारों की तरफ से धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ने का संकल्प व्यक्त किया था। संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ (League of Nations) का गठन भी इन्हीं परिस्थितियों में प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान 1919 की वर्साय की संधि (Treaty of Versailles) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति एवं सुरक्षा की प्राप्ति के लिये किया गया, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध को रोक सकने में अपनी अक्षमता के कारण राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता तथा वैधता खो बैठा। 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को के अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nation Conference on International Organization) में संयुक्त राष्ट्र चार्टर तैयार करने के लिये मिले। इन प्रतिनिधियों ने चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा अमेरिका के प्रतिनिधियों द्वारा अमेरिका के डमबार्टन ऑक्स (Dumbarton Oaks) में अक्टूबर 1944 में तैयार किये गए प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया। 26 जून, 1945 को चार्टर पर 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। पोलैंड ने इस सम्मेलन में भागीदारी नहीं की थी, लेकिन उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किया और 51वाँ प्रारंभिक सदस्य बना। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर, 1945 को अस्तित्व में आया। इसके अस्तित्व में आने से पहले चीन, फ्राँस, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका तथा बहुसंख्यक हस्ताक्षरकर्त्ता देशों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की गई। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस (United Nations Day) मनाया जाता है।

अधिदेश *(Mandate)*

अपनी अद्वितीय विशेषताओं तथा चार्टर में निहित इसकी शक्तियों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ कई मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है। यह संगठन विश्व के 193 देशों का अपने विचार व्यक्त करने का मंच है। ये देश अपने विचार महासभा

अध्याय
14

भारत-जापान संबंध
(India-Japan Relations)

14.1 पृष्ठभूमि
14.2 भारत-जापान राजनीतिक संबंध
14.3 भारत-जापान आर्थिक संबंध
14.4 भारत-जापान सामरिक संबंध
14.5 भारत-जापान शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंध
14.6 भारत-जापान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय संबंध
14.7 भारत-जापान हेल्थकेयर सेक्टर
14.8 भारत-जापान के बीच परमाणु मुद्दा
14.9 भारत-जापान वार्षिक शिखर बैठक एवं अन्य समझौते
14.10 9वीं भारत-जापान शिखर वार्ता
14.11 भारत-जापान दृष्टि-पत्र, 2025
14.12 भारत-जापान ऊर्जा वार्ता
14.13 भारत-जापान के मध्य स्टील आयात पर विवाद
14.14 अफ्रीका में भारत-जापान सहयोग
14.15 एल.एन.जी. सहयोग समझौते
14.16 भारत-जापान के बीच हालिया घटनाक्रम
14.17 निष्कर्ष

14.1 पृष्ठभूमि *(Background)*

प्राचीन समय से ही भारत-जापान के बीच गहरे संबंध रहे हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी तथा जापान की इंपीरियल आर्मी (Japanese Imperial Army) ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बुद्ध एवं इससे जुड़ी भारतीय संस्कृति की छाप स्पष्ट तौर पर जापानी जनजीवन पर महसूस की जा सकती है। बौद्ध धर्म ने दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने का भी कार्य किया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी रिकॉर्ड से यह पता चला है कि जापानी छात्र एवं बुद्धिजीवी अध्ययन हेतु यहाँ आया करते थे। देवी सरस्वती को जापान में बेंज़ाइतेन (Benzaiten) कहा जाता है। ब्रह्म को बोंतेन (Bonten) तथा यम को इनमा (Enma) कहा जाता है। संस्कृत का प्रयोग आज भी बौद्ध एवं हिंदी भाषा में किया जाता है। अन्य विधाओं के अतिरिक्त फिल्मों के माध्यम से भी भारत व जापान के मध्य सांस्कृतिक संबंध दिखाई देता रहा है। जापान में सत्यजीत रे, गुरु दत्त एवं रजनीकांत की फिल्में बहुत मशहूर हैं जबकि भारत में अकीरा कुरुसावा (Akira Kurosawa), यसुज़ीरो ओज़ू (Yasujiro Ozu) तथा ताक्शी शिमज़ू (Takshi Shimizu) की फिल्में बहुत प्रसिद्ध रही हैं।

शीतयुद्ध का दौर *(The Cold War Era)*

शीतयुद्ध के दौरान विश्व दो ध्रुवों में बँट गया था जिनमें एक का नेतृत्व अमेरिका एवं दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। भिन्न आर्थिक मॉडल एवं विश्वास अपनाने के कारण भारत-जापान के बीच दूरी बढ़ती गई तथा भारत द्वारा 1974 में किये गए परमाणु परीक्षण के कारण यह आपसी संबंध और भी बिगड़ गए। जापान इस समय परमाणु अप्रसार व्यवस्था (Nuclear Non Proliferation Regime) के लिये कार्य कर रहा था। जापान हिरोशिमा एवं नागासाकी जैसे शहरों पर परमाणु बम हमले के बाद से ही परमाणु मसले पर संवेदनशील एवं परमाणु अप्रसार के लिये समर्पित रहा है। भारत-जापान संबंधों में व्याप्त दूरी के कारण 1962 में चीन द्वारा भारत पर किये गए आक्रमण एवं 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी जापान तटस्थ (Neutral) बना रहा। जापान आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भारत की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं करता था। उसका मानना था कि भारत अपने सीमित संसाधनों को क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से व्यर्थ न करे।

1984 में जापानी प्रधानमंत्री यासुहिरो नाकासोन (Yasuhiro Nakasone) भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण पर बल दिया। आर्थिक अंतर्निर्भरता बढ़ाने के लिये भी उन्होंने प्रयास किया। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जापान जैसे एक आर्थिक महाशक्ति से आगे बढ़कर काम करने का आह्वान किया। उनका मानना था कि जापान इस क्षेत्र में स्थायित्वकारी भूमिका (Stability role) निभाए। जापानी प्रधानमंत्री की इस भारत यात्रा के बाद आर्थिक अंतर्क्रिया (Economic Interactions) भी बढ़ी। कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिये जापान ने भारत को येन ऋण

अध्याय
15

भारत-रूस संबंध
(India-Russia Relations)

15.1 द्विपक्षीय संबंधों की सामान्य पृष्ठभूमि
15.2 द्विपक्षीय संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
15.3 शीतयुद्ध के समय भारत-सोवियत संबंध
15.4 शीतयुद्ध के बाद संबंध
15.5 भारत-रूस शिखर बैठक, 2014
15.6 भारत-रूस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आई.एन.डी. आर.ए.-2015
15.7 भारत-रूस समझौता, 2015
15.8 आपदा प्रबंधन पर भारत-रूस संयुक्त आयोग की बैठक
15.9 रूस के दो तेल ब्लॉकों में भारत की हिस्सेदारी
15.10 भारत-रूस संबंध : सामयिक आयाम

15.1 द्विपक्षीय संबंधों की सामान्य पृष्ठभूमि
(General Background of Bilateral Relations)

आज हम भारत और रूस के बीच 'विशेष एवं विशेषाधिकृत रणनीतिक भागीदारी' (Special and Privileged Strategic Partnership) की बात करते हैं। इस विलक्षण और बहुआयामी संबंध का निर्माण अचानक नहीं हुआ है। सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में इसके ठोस और रचनात्मक परिणाम सामने आए हैं। विश्वसनीय मैत्री भारत-रूस संबंधों की विशेषता रही है। प्रत्येक पीढ़ी ने इन विलक्षण संबंधों को पोषित एवं संवर्द्धित किया है। इसे दोनों देशों के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक सम्मति भी प्राप्त है।

भारत के शुरुआती औद्योगिक एवं प्रतिरक्षा संवर्द्धन काल के दौरान सोवियत संघ की सहायता से लेकर प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रम एवं विकास की ठोस भागीदारी तक दोनों राष्ट्रों को विभिन्न स्तरों पर नियमित वार्ताओं एवं द्विपक्षीय तंत्रों से सहारा मिलता रहा है। हमारा सहयोग संस्थागत बन गया है– चाहे आप प्रतिरक्षा क्षेत्र की बात करें अथवा अंतरिक्ष क्षेत्र, हाइड्रोकार्बन अथवा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की, इनसे दोनों ही देशों को निरंतर लाभ हुआ है।

दोनों देशों के लोगों के बीच शैक्षणिक और कलात्मक संपर्क भी बहुत महत्त्वपूर्ण रहे हैं। 5000 से अधिक भारतीय छात्र रूसी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। सभी स्तरों पर दोनों देशों के निजी क्षेत्र के बीच व्यावसायिक संपर्कों में तेज़ी आ रही है। एक-दूसरे के संगीत, नृत्य तथा प्राचीन परंपराओं के प्रति महान आस्था के चलते सांस्कृतिक संपर्क सुदृढ़ हुए हैं।

वैश्विक मुद्दों के प्रति भारत और रूस का साझा दृष्टिकोण है और बदलती विश्व व्यवस्था के संदर्भ में इनके साझे लक्ष्य हैं। बदलती अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में उदीयमान एवं ज़िम्मेदार भागीदारों के रूप में एक-दूसरे की ताकतों एवं रणनीतिक स्वायत्तता से भी लाभ प्राप्त करते हैं। द्विपक्षीय संबंध, स्थायी शांति, न्यायसंगत विश्व व्यवस्था तथा बहुपक्षीय प्रणाली में विश्वास के आधार पर कार्य करते हैं।

यह बात दिसंबर 2011 के भारत-रूस संयुक्त वक्तव्य (India-Russia Joint Statement), मार्च 2012 के नई दिल्ली ब्रिक्स घोषणा (New Delhi BRICS Declaration) तथा अप्रैल 2012 की मॉस्को की रूस-भारत-चीन संयुक्त विज्ञप्ति (Russia-India-China Joint Statement) में झलकती है। परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Suppliers Group – NSG) तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council – UNSC) जिसमें भारत अभी स्थायी सदस्य नहीं है, जैसे बड़े मंचों पर रूस के समर्थन की भारत सराहना करता है।

अध्याय
16

क्षेत्रीयकरण और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन (Regionalization and Important Regional Organizations)

16.1 क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय संगठनों का उभरना
16.2 दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक इकाई के रूप में उद्‌भव
16.3 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का क्रमिक विकास व प्रमुख मुद्‌दे
16.4 दक्षेस वरीयता व्यापार व्यवस्था (साप्टा) से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) तक का सफर
16.5 दक्षिण एशियाई विकास कोष
16.6 दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय
16.7 दक्षिण एशिया उपग्रह
16.8 'जोखिम प्रबंधन एवं निगरानी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग'
16.9 सार्क स्टार्ट-अप एक्सचेंज प्रोग्राम

16.1 क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय संगठनों का उभरना *(Tendency of Regionalization and Emergence of Regional Organizations)*

जब कभी भी एकीकरण की प्रक्रिया की बात की जाती है तो सामान्यतया पारस्परिक हितों व उत्तरदायित्वों को सम्मान दिया जाता है। सामाजिक व राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर मानवीय संबंधों को वरीयता देना अपेक्षित होता है।

संघर्ष प्राय: विकास कार्यों को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण की निर्धनता बढ़ती जाती है इसीलिये संघर्ष का उपचार है सहयोग। किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य तनाव और संघर्ष को कम करने तथा सहयोग को प्रोत्साहन देने में क्षेत्रीय संगठन सहायक होते हैं। क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के रूप में मान्यता प्राप्त होती है।

क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने वाले कारक हैं– भौगोलिक स्थिति, जाति, भाषा, धर्म, सभ्यता और ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समानताएँ। देशों के मध्य जितना अधिक पारस्परिक मेल-जोल और आदान-प्रदान होगा, सामूहिक प्रयासों की सफलता की संभावनाएँ भी उतनी ही अधिक होंगी।

भले ही उपर्युक्त तत्त्व बहुत प्राचीन हों परंतु क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग की अवधारणा का विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ है। पहली बार दक्षिण एशिया में सन् 1977 में तत्कालीन बांग्लादेशी राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन का विचार प्रस्तुत किया था, परंतु उससे भी पहले विश्व के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हो चुकी थी और वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार थे– सन् 1945 में स्थापित अरब लीग, सन् 1948 में स्थापित अमेरिकी राज्यों का संगठन (Organization of American States – OAS) और सन् 1967 में स्थापित दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (ASEAN) इत्यादि।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद-52 में क्षेत्रीय संगठनों का प्रावधान है। इसमें प्रावधान किया गया है कि "ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ या एजेंसियाँ स्थापित की जा सकती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से सुसंगत हों एवं क्षेत्रीय कार्यविधि के मानदंडों को पूरा करती हों।" यह भी व्यवस्था है कि क्षेत्रीय संगठनों को संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्‌देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिये। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् स्थापित कुछ क्षेत्रीय संगठन सैनिक संधियों के रूप में थे। इनमें उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization – NATO), दक्षिण-पूर्व एशिया संधि संगठन (SEATO)] ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा संधि (ANZUS) तथा वारसा समझौता (Warsaw Pact) शामिल हैं।

इन रक्षात्मक संधि संगठनों के अतिरिक्त कई क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन भी स्थापित किये गए। सार्क (SAARC) ऐसे ही संगठनों में से एक है।

अध्याय
17

भारत-अफ्रीका संबंध (India-Africa Relations)

17.1 भारत-अफ्रीका संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ
17.2 शीत-युद्ध के बाद भारत-अफ्रीका संबंध
17.3 भारत का अफ्रीका में सामरिक हित
17.4 भारत की अफ्रीका नीति
17.5 अफ्रीका के संबंध में नीतिगत अनुशंसा
17.6 तीसरा भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन
17.7 दिल्ली घोषणा-पत्र, 2015
17.8 प्रधानमंत्री की सेशेल्स तथा मॉरीशस की यात्रा
17.9 तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अफ्रीकी देशों की यात्रा
17.10 तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की नाइज़ीरिया तथा माली यात्रा
17.11 प्रधानमंत्री मोदी की 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा
17.12 समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागरीय रणनीति तथा अफ्रीकी देशों से संबंध
17.13 अफ्रीकी भागीदारों के लिये द्वितीय संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान (जुलाई 2017)
17.14 अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक, 2017
17.15 भारत-पूर्वी अफ्रीका
17.16 एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
17.17 भारत-उत्तरी अफ्रीका
17.18 भारत-मोरक्को संबंध

17.1 भारत-अफ्रीका संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ *(Historical Perspective of India-Africa Relations)*

भारत एवं अफ्रीका के बीच प्राचीन समय से संबंध रहे हैं। माना जाता है कि यह संबंध भारत एवं पूर्वी अफ्रीका के समुद्रतटीय देशों के बीच व्यापार तक सीमित थे। उपनिवेशवाद के कारण व्यापार का अंत हो गया, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीयों को श्रमिक एवं कारीगर के रूप में कार्य करने के लिये अफ्रीकी देशों में लाया गया था। इससे भारत-अफ्रीका के संबंधों में एक नया आयाम जुड़ गया। कई भारतीय नेता और विशेषकर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में गैर-श्वेत लोगों के साथ किये जाने वाले भेदभाव के मुद्दे को उठाया। जहाँ एक ओर महात्मा गांधी भारत-अफ्रीका के संबंधों के लिये आइकॉन साबित हुए वहीं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन संबंधों को ठोस आधार प्रदान किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में विचारधारात्मक एकता को बढ़ावा मिला। इसने उपनिवेशवाद एवं रंगभेद का विरोध किया। भारत एवं कई अफ्रीकी देश ग्रुप-77 के भी सदस्य थे जिसने उत्तर-दक्षिण के बीच असमान व्यापार शर्तों का मुद्दा उठाया था एवं इसके प्रति चिंता ज़ाहिर की थी। लेकिन नेहरू का कार्यकाल समाप्त होते-होते कई कारणों से भारत-अफ्रीका के संबंध शिथिल होने लगे थे। इसमें से एक कारण 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध रहा। इस युद्ध में भारत की हार के कारण इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि में गिरावट आई। एक अन्य कारण भारत द्वारा अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलनों में शांतिपूर्ण साधनों को अपनाने पर बल देना रहा जबकि अफ्रीकी देश सशस्त्र संघर्ष के लिये चीन से अस्त्र-शस्त्र खरीद रहे थे।

17.2 शीत-युद्ध के बाद भारत-अफ्रीका संबंध *(India-Africa Relations in Post Cold War Period)*

भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद इसने गांधीवादी एवं नेहरूवादी सिद्धांतों से हटकर व्यावहारिक नीतियाँ अपनानी शुरू की। इसने अफ्रीकी देशों के साथ भी भारत के संबंध को एक नया रूप दिया। भारत ने अफ्रीका को रणनीतिक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और इस बात को महसूस किया कि अफ्रीकी देशों के साथ संबंध मज़बूत बनाने से इसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सकती है। अफ्रीका के अपार ऊर्जा संसाधन तीव्र गति से बढ़ते भारत के

अध्याय
18

भारत-म्याँमार संबंध (India-Myanmar Relations)

18.1 पृष्ठभूमि
18.2 भारत और म्याँमार के बीच क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय संदर्भों में सहयोग के बिंदु
18.3 भारत-म्याँमार संबंधों की हालिया प्रगति
18.4 भारत-म्याँमार रक्षा-सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत
18.5 म्याँमार में विभिन्न देशों के हित
18.6 भारत-म्याँमार संबंधों में चीनी कारक
18.7 म्याँमार के रोहिंग्याओं की समस्याएँ एवं भारत की भूमिका
18.8 भारत-म्याँमार रेल डीज़ल इंजन समझौता
18.9 म्याँमार के पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम
18.10 कलादान मल्टी-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना
18.11 म्याँमार के त्रिकोणीय राजमार्ग
18.12 भारत-म्याँमार-थाईलैंड फ्रेंडशिप मोटर कार रैली
18.13 'आंग सान सू की' की भारत यात्रा
18.14 भारतीय सेना प्रमुख की म्याँमार यात्रा
18.15 भारतीय प्रधानमंत्री की म्याँमार यात्रा
18.16 भारत के लिये म्याँमार की महत्ता
18.17 भारत-म्याँमार: भूमि सीमा पार करने के संबंध में

18.1 पृष्ठभूमि *(Background)*

भारत एवं म्याँमार के बीच ऐतिहासिक तौर पर सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध रहे हैं। म्याँमार के लोग तीर्थयात्री के रूप में सदियों से भारत आते रहे हैं। भारत एवं म्याँमार की सीमा 1643 किमी. लंबी है। भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम तथा मणिपुर राज्यों की सीमाएँ म्याँमार से लगती हैं।

ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के बाद से भारत एवं म्याँमार के संबंधों में उतार-चढ़ाव आता रहा है। 1948 से 1962 के बीच भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा म्याँमार के प्रधानमंत्री यू नू (U Nu) के कार्यकाल में भारत-म्याँमार का आपसी संबंध काफी घनिष्ठ एवं दोस्ताना था लेकिन ने विन (Ne Win) के नेतृत्व वाली सैन्य शासन की अलगाववादी नीतियों (Isolationist Policies) के कारण 1962-88 के बीच भारत एवं म्याँमार के बीच संबंध लगभग ठप रहा। भारतीयों को म्याँमार से बाहर निकाले जाने के कारण संबंधों में और भी कड़वाहट आ गई थी। 1988 से जब म्याँमार में लोकतंत्र के लिये आंदोलन शुरू हुआ तो भारत द्वारा इसके प्रति सद्भावना दिखाए जाने से आपसी संबंध पूर्णतया तनावपूर्ण हो गए लेकिन 1993 से भारत ने यथार्थवादी एवं व्यावहारिक विदेश नीति अपनाते हुए म्याँमार के सैन्य शासकों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। तब से दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुधरता जा रहा है। 1995 में भारत द्वारा म्याँमार की आंग सान सू की को अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिये जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार दिये जाने से आपसी संबंधों में थोड़ी रुकावट ज़रूर पैदा हुई थी लेकिन सन् 2000 में सैन्य शासन के दूसरे सबसे प्रमुख नेता माउंग आये (Maung Aye) की भारत यात्रा के बाद से भारत-म्याँमार संबंधों में आमूल-चूल बदलाव आ गया तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग होने लगा। म्याँमार 1997 में आसियान का सदस्य बना। यह आसियान का एकमात्र सदस्य है जिसकी भूमि एवं समुद्री सीमा भारत से लगती है। इस तरह यह भारत के लिये आसियान का प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है।

भारत एवं म्याँमार के संबंध विविधतापूर्ण एवं संतोषजनक हैं। द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक बनाने के लिये अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

म्याँमार लगभग 50 वर्षों तक सैन्य शासन के अधीन रहा है। अब यह बाहरी दुनिया के लिये अपने दरवाज़े खोल रहा है। भारत और म्याँमार के बीच एक ओर जहाँ राजनीतिक संबंध मज़बूत हो रहा है वहीं दूसरी ओर दोनों देशों की क्षमतानुसार व्यापार एवं निवेश नहीं बढ़ पा रहा है। म्याँमार के कुल आयात में भारत का सातवाँ स्थान है। म्याँमार में विदेशी निवेश करने वाले देशों में भारत 9वें (फरवरी 2016 तक) स्थान पर है। ऐसे समय में जब इस क्षेत्र में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हों तो दोनों देशों को समग्र क्षेत्रों में संबंध सुधारने के लिये व्यापार एवं निवेश पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

अध्याय
19

प्रवासी भारतीय (Indian Diaspora)

19.1 पृष्ठभूमि
19.2 प्रवासी भारतीयों के लिये आधिकारिक नीति
19.3 प्रवासी भारतीयों के साथ राजनीतिक संबंध
19.4 प्रवासी भारतीयों की संख्या
19.5 भारतीय प्रवासी रोज़गार परिषद
19.6 भारतीय समुदाय कल्याण कोष
19.7 मानव संसाधन गतिशीलता भागीदारी
19.8 द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौता
19.9 भारतीय प्रवासी नागरिकता योजना
19.10 भारतीय नागरिकता कानून में बदलाव
19.11 प्रवासी भारतीयों के लिये भारत को जानो कार्यक्रम
19.12 प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार
19.13 प्रधानमंत्री की प्रवासी भारतीयों की वैश्विक सलाहकार परिषद
19.14 प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र
19.15 प्रवासी भारतीयों का भारत विकास फाउंडेशन
19.16 ज्ञान का वैश्विक भारतीय नेटवर्क
19.17 प्रवासी भारतीय दिवस
19.18 प्रवासी भारतीय बच्चों के लिये छात्रवृत्ति कार्यक्रम
19.19 प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार
19.20 भारतीय नागरिकों के विदेशी भारतीयों के साथ वैवाहिक मुद्दे
19.21 महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना
19.22 भारतीय डायस्पोरा वर्ल्ड कन्वेंशन, 2017
19.23 निष्कर्ष

19.1 पृष्ठभूमि *(Background)*

विश्व के विभिन्न देशों में 3 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं। इनकी दो श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणी उन लोगों की है जो ब्रिटिश शासन के दौरान कल-कारखानों, बाग-बगीचों, खानों (Mining) आदि में कार्य करने के लिये ले जाए गए थे। अफ्रीका, फिजी आदि देशों में ले जाए गए लोग इसी श्रेणी के हैं। इन्हें सामान्यतौर पर भारतीय मूल के लोग (People of Indian Origin–PIO) कहा जाता है। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये विदेशों में गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा या ब्रिटेन गए ज़्यादातर लोग इसी श्रेणी में शामिल हैं। इन्हें आप्रवासी भारतीय (Non-Resident Indian – NRI) कहा जाता है। इन दोनों तरह के लोगों का भारत से संबंध है लेकिन जहाँ पहली श्रेणी के लोगों का भारत के साथ भावनात्मक जुड़ाव (Emotional Attachment) है, वहीं दूसरी श्रेणी के लोगों को संयुक्त रूप से प्रवासी भारतीय के रूप में जाना जाता है। आज़ादी के समय और आज के समय को यदि देखा जाए तो भारत के प्रति इनकी भूमिका और योगदान में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। 1950 के दशक में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "प्रवासी भारतीय उसी देश के हो जाएँ जिस देश में वे रहते हैं।" 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) की सरकार ने प्रवासी भारतीयों के मसलों पर विचार करने के लिये डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिश पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का फैसला किया गया। 2003 से निरंतर प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतीय मूल के प्रमुख लोगों एवं प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि प्रवासी भारतीय विदेश नीति के निर्धारण एवं अन्य देशों के साथ भारत के संबंध निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने लगे हैं। प्रवासी भारतीयों ने एक महत्त्वपूर्ण समूह का रूप धारण कर लिया है। उदाहरणस्वरूप अमेरिका में बसे भारतीय काफी संगठित हैं। भारत के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में बदलाव लाने में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

उदारीकरण के फलस्वरूप प्रवासियों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन स्टडीज़ (Institute of Migration Studies) के अनुसार, वर्तमान समय में विश्व में अभी लगभग 30 करोड़ प्रवासी कार्य कर रहे हैं। विश्व का

अध्याय
20

भारत-फ्राँस संबंध
(India-France Relation)

20.1 भारत-फ्राँस संबंधों की सामान्य पृष्ठभूमि	20.8 भारत-फ्राँस जल नेटवर्क
20.2 भारत-फ्राँस संबंधों के विविध पहलू	20.9 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्यालय और सचिवालय का शिलान्यास
20.3 भारत-फ्राँस रक्षा संबंध	20.10 इलेक्ट्रिक रेल इंजन : भारत-फ्राँस संयुक्त उद्यम
20.4 सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु समर्थन	20.11 फ्राँसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा
20.5 आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध	20.12 भारतीय प्रधानमंत्री की फ्राँस यात्रा
20.6 भारत एवं फ्राँस के बीच शैक्षिक एवं तकनीकी सहयोग	20.13 फ्राँसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा, 2018
20.7 भारत-फ्राँस सांस्कृतिक सहयोग	

20.1 भारत-फ्राँस संबंधों की सामान्य पृष्ठभूमि
(General Background of India-France Relations)

भारत-फ्राँस संबंधों का विश्लेषण करने से पूर्व यह उल्लेखनीय है कि फ्राँस की विदेश नीति में दक्षिण एशिया निम्न प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। फ्राँस की यह नीति अन्य पश्चिमी देशों की नीतियों के समान ही रही है। फ्राँस का हित इस क्षेत्र में शस्त्र बेचने तक सीमित रहा है, लेकिन इसमें भी फ्राँस को बड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ा है क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक कारणों से सोवियत संघ/रूस भारत का सबसे बड़ा शस्त्र आपूर्तिकर्त्ता रहा है।

भारत-फ्राँस संबंधों के निर्धारण में भारतीय विदेश नीति का भी अहम योगदान रहा है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय भारतीय विदेश नीति आदर्शवाद पर आधारित थी। नेहरू 1962 के भारत-चीन युद्ध होने तक चीन की लगभग सभी नीतियों का समर्थन करते रहे। दूसरी ओर फ्राँस इस दौर में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों में चीन समर्थित कम्युनिस्टों का विरोध कर रहा था।

यदि भारत-फ्राँस संबंधों को शीतयुद्ध के दौरान विश्लेषित करें तो हम पाते हैं कि उस दौरान सामान्य तौर पर पश्चिमी देशों का झुकाव पाकिस्तान की ओर था लेकिन फ्राँस ने पाकिस्तान एवं भारत के साथ अपना संतुलित संबंध बनाए रखा। शीतयुद्ध के दौरान फ्राँस पश्चिमी देशों से ही जुड़ा रहा। 1947 में ब्रिटेन के भारत छोड़कर जाने के बावजूद फ्राँस ने भारत में अगले कुछ वर्षों तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी। 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा शस्त्रापूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद फ्राँस ने फ्राँसीसी लड़ाकू विमानों की मरम्मत के लिये आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए थे। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी जहाँ अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान के समर्थन में थे वहीं फ्राँस ने ज़्यादा संतुलित रवैया अपनाया। फिर भी भारत की यह शिकायत बनी रही कि पश्चिमी देश एवं फ्राँस दक्षिण एशिया में भारत एवं पाकिस्तान को एक-समान समझने का प्रयास करते रहे हैं।

भारत-फ्राँस संबंधों के लिये 1990 का दशक बहुत ही महत्त्वपूर्ण साबित हुआ। फ्राँस के तत्कालीन राष्ट्रपति जैक्स शिराक (Jacques Chirac) जनवरी 1998 में भारत आए। उसी वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्राँस गए थे। इस समय तक भारत फ्राँस की नज़र में एक शक्ति बन चुका था। मई 1974 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किये जाने के बाद अगले 8 वर्षों तक भारत एवं फ्राँस के बीच नागरिक परमाणु सहयोग रुक गया, लेकिन 70 के दशक के मध्य में भारत एवं फ्राँस की गुप्तचर एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग हो रहा था। 1984 के बाद सियाचिन के सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाने एवं इतनी ऊँचाई पर भारी शस्त्रों का उपयोग न हो पाने की स्थिति में चेतक हेलिकॉप्टर, जो पूर्व में फ्राँस का अलाउटी (Allouette) हेलिकॉप्टर ही था, काफी महत्त्वपूर्ण साबित हुआ।

1971 के बाद से भारत एवं फ्राँस के बीच संबंध सुदृढ़ होने लगे थे। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक नई पहचान मिली। इसका प्रभाव भारत-फ्राँस के संबंधों पर भी पड़ा। इससे पहले भारत-फ्राँस के संबंध उपनिवेशवादी घटनाओं से प्रभावित होते रहते थे।

अध्याय
21

भारत-ब्रिटेन संबंध
(India-Britain Relations)

21.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	21.10 भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंध
21.2 ब्रिटेन द्वारा भारत को आर्थिक मदद बंद करने संबंधी नीति	21.11 भारत-ब्रिटेन ऊर्जा सहयोग समझौता
21.3 भारत-ब्रिटेन आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध	21.12 भारत-ब्रिटेन लोक प्रशासन और शासन सुधार समझौता
21.4 भारत-ब्रिटेन रक्षा संबंध	21.13 भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगिकी शिखर ज्ञान प्रदर्शनी
21.5 विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग	21.14 प्रत्यर्पण का मुद्दा
21.6 भारत-ब्रिटेन शैक्षिक सहयोग	21.15 ब्रेक्ज़िट
21.7 भारत-ब्रिटेन सांस्कृतिक सहयोग	21.16 भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा, 18 अप्रैल, 2018
21.8 लोगों के स्तर पर सहयोग	21.17 चागोस द्वीपसमूह
21.9 भारत-ब्रिटेन स्वास्थ्य सहयोग	21.18 विंडरश स्कीम

21.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि *(Historical Background)*

भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहा था। स्वाभाविक रूप से भारत के स्वतंत्र होने तक इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटेन की नीतियों एवं राजनीति का ही पड़ा है। भारत ने अपनी लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही अपनाई है। ब्रिटेन की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों ने लगभग ढाई सौ वर्षों तक भारत पर प्रभुत्व बनाए रखा। भारत की स्वतंत्रता के प्रति ब्रिटेन की लेबर पार्टी सद्भावना रखती थी और 15 अगस्त, 1947 को भारत को आज़ादी ब्रिटेन में लेबर पार्टी के शासन के दौरान ही मिली। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् शुरू हुए शीत युद्ध के दौरान ब्रिटेन अमेरिका की छत्रच्छाया में रहा जबकि भारत किसी-न-किसी रूप में सोवियत संघ के नज़दीक दिखाई दिया। इस कारण भारत एवं ब्रिटेन के बीच बहुत घनिष्ठता नहीं रह सकी, लेकिन सोवियत संघ के विखंडन एवं शीतयुद्ध की समाप्ति के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन आया।

यदि हम ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक नीतियों की समीक्षा करें तो यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन अपनी व्यापारिक कंपनियों को किसी प्रकार की सब्सिडी (Subsidy) नहीं देता है। वे कहाँ से लाभ प्राप्त करें, इसका निर्णय वे स्वयं करती हैं। इस संबंध में वे सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करती हैं। ब्रिटेन जापान की तरह अपनी कंपनियों को भारत जाने के लिये सुलभ ऋण (Soft Loan) नहीं देता है। ब्रिटेन द्वारा भारत को आर्थिक मदद (Economic Aid) बंद करने के निर्णय लिये जाने के कारण भारत ने ब्रिटेन की उस दिलचस्पी के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया जिसके अंतर्गत वह भारत में मुंबई से लेकर बंगलूरू तक औद्योगिक गलियारा (Industrial Corridor) विकसित करना चाहता है। इसी तरह नागरिक परमाणु ऊर्जा (Civil Nuclear Power) के क्षेत्र में भारत में परमाणु दुर्घटना की स्थिति में विदेशी निवेशक के लिये उत्तरदायित्व कानून (Liability Law) होने के बावजूद फ्राँस एवं जापान की सरकारी क्षेत्र की परमाणु ऊर्जा से संबंधित कंपनियों को भारत में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन एवं अमेरिका की निजी क्षेत्र की कंपनियाँ इस उत्तरदायित्व संबंधी कानून को एक खतरे के रूप में देखती हैं।

21.2 ब्रिटेन द्वारा भारत को आर्थिक मदद बंद करने संबंधी नीति *(Britain Decision to End Economic Aid to India)*

ऐसी मदद बंद करने के पीछे ब्रिटेन की सोच यह है कि भारत में आर्थिक वृद्धि हो रही है। ब्रिटेन यह मानकर चल रहा है कि भारत का अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम (Space Programme) चल रहा है। यदि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम चला सकता

अध्याय
22

भारत-ब्राज़ील संबंध (India-Brazil Relations)

22.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
22.2 भारत-ब्राज़ील राजनीतिक संबंध
22.3 भारत-ब्राज़ील आर्थिक संबंध
22.4 भारत-ब्राज़ील रक्षा संबंध
22.5 भारत-ब्राज़ील कृषि सहयोग
22.6 भारत-ब्राज़ील सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग
22.7 भारत-ब्राज़ील में दूतावास और आवाजाही संबंधी मुद्दों पर सहयोग
22.8 निष्कर्ष

22.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि *(Historical Background)*

शीतयुद्ध के लंबे दौर में भारत-ब्राज़ील के संबंध महत्त्वहीन बने रहे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और मित्र देशों को नई दिल्ली में दूतावास खोलने की अनुमति दी जाने लगी, उस समय लैटिन अमेरिकी देशों को सामान्य तौर पर महत्त्व नहीं मिल सका। इसमें ब्राज़ील भी शामिल है। द्वितीय विश्वयुद्ध के अगले दो दशक तक भारत-ब्राज़ील के बीच एक भी व्यापारिक समझौता नहीं हो सका था। 1960 तक केवल 20 वीज़ा ही ब्राज़ीलवासियों को प्रदान किये गए थे। इनमें से भी ज़्यादातर वीज़ा राजनयिकों (Diplomats) को ही दिये गए थे। जब गोवा के मुद्दे पर भारत एवं पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंध टूट गए तो ब्राज़ील ने नई दिल्ली में पुर्तगाली हितों की रक्षा का कार्य सँभाला।

भारत को यह आशा थी कि एक लोकतांत्रिक एवं पूर्व उपनिवेश होने के नाते ब्राज़ील गोवा मुद्दे पर भारत का समर्थन करेगा जबकि उसने एक गैर-लोकतांत्रिक देश (पुर्तगाल) का समर्थन किया था। ब्राज़ील ने पुर्तगाल से अपने पुरातन संबंधों का हवाला देते हुए इसका स्पष्टीकरण देना चाहा था। इस पूरे घटनाक्रम से भारत-ब्राज़ील के संबंध बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। भारत-ब्राज़ील के आपसी संबंधों में 1964 में कुछ हद तक सुधार देखा गया जब व्यापार एवं विकास से संबंधित सम्मेलन (UN Conference on Trade and Development-UNCTAD) एवं जी-77 का गठन हुआ। इन मंचों से भारत-ब्राज़ील को संयुक्त राय बनाने में मदद मिली। उदाहरण के तौर पर- भारत एवं ब्राज़ील दोनों ने शुरुआती दिनों में परमाणु हथियारों की आलोचना की थी। दोनों ने 1967 में अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty-NPT) की आलोचना यह कहकर की थी कि यह अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना में नई उभरती शक्तियों की ताकत को रोकने का प्रयास है। दोनों देशों ने इस बात का समर्थन किया कि धनी देशों को शस्त्रों पर धन खर्च न करके गरीब देशों की गरीबी खत्म करने के लिये सहायता के रूप में इस धन का उपयोग करना चाहिये। आगे चलकर दोनों देशों की विदेश नीतियों में विकास, निरस्त्रीकरण एवं विऔपनिवेशीकरण (Development, Disarmament and Decolonization) ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में ब्राज़ील की यात्रा की।

भू-राजनीतिक रूप से ब्राज़ील अमेरिका के नज़दीक था तो भारत सोवियत संघ के नज़दीक। 1976 में एक संविधान संशोधन के माध्यम से भारत को एक समाजवादी देश भी घोषित कर दिया गया था। उसके दस साल के बाद (1986 में) भारत ने गैर-आधिकारिक रूप से ब्राज़ील को पूर्ण सदस्य के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement – NAM) में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया ताकि उग्र सुधारवादी वामपंथी देशों (Radical Leftist Countries) को संतुलित किया जा सके लेकिन ब्राज़ील ने नैम (NAM) की सदस्यता के इस आमंत्रण को अस्वीकार कर पर्यवेक्षक राज्य के रूप में ही बने रहने का फैसला किया।

22.2 भारत-ब्राज़ील राजनीतिक संबंध *(India-Brazil Political Relations)*

भारत और ब्राज़ील का राजनीतिक संबंध द्विपक्षीय मंचों पर बेसिक, जी-20, जी-4, इब्सा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म के साथ करीबी संबंध के अलावा बहुपक्षीय संस्था समूह, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को और डब्ल्यू.

अध्याय
23

भारत, एन.पी.टी. और सी.टी.बी.टी. (India, Non-Proliferation Treaty and Comprehensive Test Ban Treaty)

23.1 पृष्ठभूमि	23.6 विखंडनीय पदार्थों की कटौती का समझौता
23.2 परमाणु अप्रसार संधि के मूल प्रावधान	23.7 परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह और भारत की सदस्यता
23.3 समग्र परमाणु परीक्षण संधि के प्रावधान	23.8 भारत की परमाणु नीति
23.4 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय विदेश नीति की रणनीति	23.9 परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन, 2020
23.5 प्रक्षेपास्त्र तकनीक नियंत्रण व्यवस्था के प्रावधान	23.10 परमाणु हथियार निषेध संधि

23.1 पृष्ठभूमि *(Background)*

इस संधि को वैश्विक परमाणु अप्रसार के शासन की आधारशिला माना जाता है और परमाणु निरस्त्रीकरण की खोज के लिये एक आवश्यक आधार है। यह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने, परमाणु निरस्त्रीकरण और सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था।

प्रथम चरण: भारतीय विदेश नीति का मूल आधार राष्ट्रीय आंदोलन से ही निर्मित हुआ। गांधी की अहिंसात्मक नीति का प्रभाव विदेश नीति पर अत्यधिक प्रभावी हुआ। आरंभ में नेहरू ने विदेश नीति में आदर्शवादी तत्त्वों को प्राथमिकता दी, जिसमें उन्होंने शांति और निरस्त्रीकरण का समर्थन किया जबकि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं रंग-भेद की नीति का विरोध किया और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया।

वर्ष 1954 में नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से समूचे विश्व से परमाणु हथियारों के उन्मूलन की मांग की। यद्यपि नेहरू ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थन किया। नेहरू के नेतृत्व में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के शीतयुद्ध के युग में महाशक्तियों के मध्य परमाणु हथियारों को असीमित रूप में संग्रहित करने को लेकर संघर्ष जारी था। वर्ष 1949 में रूस द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। वर्ष 1954 में ब्रिटेन ने भी परमाणु परीक्षण किया। नेहरू ने आदर्शवादी नीतियों का अनुसरण करते हुए एशियाई, अफ्रीकी देशों की एकता का समर्थन किया। साथ-ही-साथ चीन के साथ पंचशील समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।

दूसरा चरण: वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के पश्चात् भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद अत्यधिक प्रभावी हुआ। शांति की बजाय सुरक्षा को विदेश नीति में प्राथमिक महत्त्व दिया गया। इससे दक्षिण-एशिया और समूचे विश्व में भारत के सम्मान को गहरी ठेस पहुँची। पड़ोसी देशों ने भारत के विरुद्ध 'चीन कार्ड' का प्रयोग किया। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों ने भी यह महसूस किया कि भारत चीन से उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से भी भारत को उचित समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1963 में भारत ने प्रस्तावित पी.टी.बी.टी. (Partial Test Ban Treaty) का समर्थन किया, लेकिन वर्ष 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण करने के पश्चात् भारतीय विदेश नीति में परमाणु हथियारों के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, क्योंकि चीनी परमाणु हथियारों से भारतीय सुरक्षा को सीधे खतरा था। यह उल्लेखनीय है कि चीन-पाकिस्तान की बढ़ती मित्रता भारतीय सुरक्षा के लिये अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा था।

23.2 परमाणु अप्रसार संधि के मूल प्रावधान *(Key Provisions of N.P.T.)*

(i) इस संधि के अनुसार, जिन राज्यों ने 1 जनवरी, 1968 से पहले परमाणु परीक्षण किया है, वे परमाणु शक्ति संपन्न राज्य कहलाएंगे।

(ii) इसके अनुसार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं।

अध्याय
24

भारत-भूटान संबंध (India-Bhutan Relation)

24.1 पृष्ठभूमि
24.2 भारत-भूटान मैत्री संधि-1949 में संशोधन के मुद्दे
24.3 भारत-भूटान मुक्त व्यापार समझौता, 2006
24.4 भारत-भूटान संबंधों में चीन की भूमिका
24.5 भारत-भूटान संबंधों की हालिया स्थिति
24.6 भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
24.7 बी.बी.आई.एन. मोटर वाहन समझौते
24.8 वाणिज्य एवं पारगमन हेतु भारत-भूटान का नया समझौता
24.9 सार्क उपग्रह एवं भूटान
24.10 सीमा सुरक्षा पर वार्ता
24.11 भूटान में पर्यटन समस्या

24.1 पृष्ठभूमि *(Background)*

भारत के पड़ोस में स्थित भूटान एक स्थलरुद्ध (Land Locked) पर्वतीय देश है, जिसके साथ भारत के ठोस संबंध ऐतिहासिक कालक्रम से रहे हैं। भूटान के प्राचीन इतिहास की बहुत ही कम जानकारी है। पुरातात्त्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि भूटान संभवत: 2000 ई.पू. में बसा था। बौद्ध धर्म यहाँ संभवत: दूसरी शताब्दी में आया था। यद्यपि परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता है कि 8वीं सदी में भारतीय संत एवं गुरु पद्मसम्भव (Padma Sambhava), जिन्हें गुरु रिम्पोचे (Guru Rimpochey) भी कहा जाता है, के भूटान आगमन पर इस देश में बौद्ध धर्म ने पहले से प्रचलित धार्मिक पद्धति का स्थान ले लिया। गुरु रिम्पोचे भूटानी इतिहास के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्हें 'द्वितीय बुद्ध' (Second Buddha) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

भूटान के तृतीय महाराजा जिग्मे दोरजी वांग्चुक (Jigme Dorji Wangchuck) को आधुनिक भूटान का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने अनेक विकास योजनाओं की शुरुआत की थी। 1971 में भूटान को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित किया गया था। चौथे महाराजा जिग्मे सिंग्ये वांग्चुक (Jigme Singye Wangchuk) का राज्याभिषेक जुलाई 1972 में हुआ था। उन्होंने विशेष रूप से भूटान की संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण पर केंद्रित **नियंत्रित विकास की नीति** को जारी रखा। उनके आर्थिक स्वावलंबन के आदर्शों में 'सकल राष्ट्रीय खुशहाली' (Gross National Happiness) बहुत ही चर्चित रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग कर उस पर युवराज को आसीन कर दिया था। शाही युवराज जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक (Jigme Khesar Namgyel Wangchuk) ने दिसंबर 2006 में चतुर्थ महाराजा द्वारा राजसिंहासन त्यागने पर राजा के दायित्वों को ग्रहण किया। उनका औपचारिक राज्याभिषेक 6 नवंबर, 2008 को किया गया था।

प्राकृतिक संसाधन *(Natural resources)*

भूटान के पास लकड़ी (Timber), स्लेट, खड़िया मिट्टी, डोलोमाइट, काला शीशा, तांबा, चूना पत्थर, कोयला और टंगस्टन आदि का विपुल भंडार है। भूटान में पनबिजली विकास की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं। तीव्र गति से बहती गहरी सँकरी नदियाँ (जो हिमालय के पिघले हुए बर्फ के पानी का वहन करती हैं) जल विद्युत ऊर्जा की अपार क्षमता अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ की 72.5% वनाच्छादित भूमि भी जैव-विविधता की दृष्टि से एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है।

धर्म *(Religion)*

भूटान में अधिकांश लोग महायान (बौद्ध) हैं जो द्रुपका काग्यू बौद्ध संप्रदाय के हैं। नेपाली मूल के लोग जो प्रमुख रूप से दक्षिणी भूटान के गर्म और नम दुआर (Duars) क्षेत्र में बसे हैं, उनमें हिंदुत्व का पूर्ण वर्चस्व है। केंद्रीय बौद्ध मठ प्रमुख संगठन है जिसमें 5000 बौद्ध भिक्षु सम्मिलित हैं। इनका प्रमुख एक निर्वाचित अब्बोत (Abbot) होता है जो राष्ट्र का धर्माध्यक्ष है। इन सभी परंपराओं को भूटान के धार्मिक नृत्य समारोह, जिन्हें **त्शेचु** (Tschechu) कहा जाता है, में देखा जा सकता है।

अध्याय
25

महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश (Important International Institutions, Agencies and fora-their Structure, Mandate)

25.1 राष्ट्रमंडल राष्ट्र
25.2 खाड़ी सहयोग परिषद
25.3 ग्रीनपीस अंतर्राष्ट्रीय
25.4 जी-24
25.5 अरब लीग
25.6 जी-10
25.7 जी-77
25.8 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
25.9 दक्षिण-पूर्व एशिया संधि संगठन
25.10 वारसा संधि संगठन
25.11 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
25.12 आर्कटिक परिषद
25.13 अफ्रीकी संघ
25.14 इस्लामिक देशों का सहयोग संगठन
25.15 पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय
25.16 स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल
25.17 सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन
25.18 कैरीबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट
25.19 अमेरिकी राज्यों का संगठन
25.20 अंतर-संसदीय संघ
25.21 वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
25.22 एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल संधि
25.23 मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था
25.24 मानवाधिकारों से संबंधित वियना घोषणा-पत्र
25.25 यू.एन. वीमेन
25.26 लैटिन अमेरिकी एवं कैरीबियन देशों का समुदाय
25.27 सबसे कम विकसित देश
25.28 स्वच्छ विकास एवं जलवायु संबंधी एशिया-प्रशांत भागीदारी
25.29 संयुक्त राष्ट्र संघ
25.30 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
25.31 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
25.32 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
25.33 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
25.34 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
25.35 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग
25.36 संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष
25.37 खाद्य एवं कृषि संगठन
25.38 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन
25.39 अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
25.40 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन
25.41 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
25.42 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन-इंटरपोल
25.43 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
25.44 काला सागर आर्थिक सहयोग
25.45 नॉर्डिक परिषद
25.46 हिंद महासागर आयोग
25.47 यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन
25.48 यूरोप की परिषद

अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी अधिरचना है जिसमें औपचारिक रूप से तीन या तीन से अधिक राष्ट्र सम्मिलित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन (International Governmental Organization-IGO's) भी कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों (International Non-Governmental Organization–INGOs) से अलग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की पहचान उन नियमों से होती है जो सदस्य देशों के बीच संबंधों का विनियमन करते हैं, साथ ही उन औपचारिक संरचनाओं से भी होती है जो इन नियमों को लागू एवं प्रवर्तित करते हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को साधन तंत्र या कर्त्ता (Instrument arenas or actors) के रूप में देखा जा सकता है। तंत्र के रूप में ये ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिनके माध्यम से राष्ट्र स्वयं अपने हितों की पूर्ति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विचार-विमर्श एवं सूचना विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं। सम्मेलन कूटनीति के लिये यह स्थायी संस्था के रूप में कार्य करते हैं। कर्त्ता के रूप में वे राष्ट्रों को समन्वित कदम उठाने में सक्षम बनाते हैं। विशेषकर 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596